



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243774
CG-DL-E-21022023-243774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 763]
No. 763]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023
सं. 59/2015-2020

विषय : काजू गिरी (टूटी हुई/साबुत) के आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 796(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 08 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 08013210 के तहत काजू गिरी (टूटी हुई) और आईटीसी (एचएस) कोड 08013220 के तहत काजू गिरी (साबुत) के आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	आयात नीति	मौजूदा आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
08013210	काजू गिरी, टूटी हुई	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 680/- रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक हो तो आयात मुक्त है।	1. तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 680/- रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक है तो आयात मुक्त है। 2. तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी।

				3. एसईजेड और ईओयू इकाइयों को आयातित काजू गिरी को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में बेचने की अनुमति नहीं होगी।
08013220	काजू गिरी,	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 720/- रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक हो तो आयात मुक्त है।	1. तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 720/- रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक है तो आयात मुक्त है। 2. तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी। 3. एसईजेड और ईओयू इकाइयों को आयातित काजू गिरी, को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में बेचने की अनुमति नहीं होगी।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: काजू गिरी (टूटी हुई/साबुत) पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा आयात के लिए लागू नहीं होगा, बशर्ते कि आयातित काजू गिरी, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों (डीटीए) में नहीं बेचा जाए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/05/एम-20/पीसी-II[क]/ई-28980]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February 2023

No. 59/2015-2020

Subject : Amendment in Import Policy condition of Cashew Kernels (broken/ whole)

S.O. 796(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy condition of cashew kernels (broken) under ITC(HS) Code 08013210 and cashew kernel (whole) under ITC(HS) Code 08013220 under Chapter-08 of ITC (HS) 2022, Schedule 1 (Import Policy) as under:

ITC (HS) Code	Description	Import Policy	Existing Import Policy	Revised Import Policy
08013210	Cashew kernel, broken	Prohibited	However, import is free if CIF value is above Rs. 680/- per KG.	1. However, import is free if CIF value is above Rs. 680/- per Kg. 2. MIP conditions, however, shall not be applicable for imports by 100% Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZ. 3. SEZs and EoUs units shall not be allowed to sell the imported Cashew Kernels into Domestic Tariff Area (DTA).
08013220	Cashew kernel, whole	Prohibited	However, import is free if CIF value is above Rs. 720/- per KG.	1. However, import is free if CIF value is above Rs. 720/- per Kg. 2. MIP conditions, however, shall not be applicable for imports by 100% Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZ.

				3. SEZs and EoUs units shall not be allowed to sell the imported Cashew Kernels into Domestic Tariff Area (DTA).
--	--	--	--	--

Effect of this Notification: Minimum Import Price (MIP) on Cashew kernel (broken / whole) will not be applicable for imports by 100% Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZs subject to the condition that the imported Cashew Kernels are not sold into Domestic Tariff Area (DTA).

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/05/AM-20/PC.II(A)/E-28980]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

& Ex-Officio Addl. Secy.